न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या– 3 / 36 / 2023 दायर दिनांक 02 / 11 / 2023

जीसीएमएस न0 –2023 / 554 निर्णय दिनांक 10 / 11 / 2025

वउनवान

1. बलराम पुत्र बोदा उर्फ बोदया जाति मीना निवासी भैरूवास
2. संतोष पुत्र बोदा उर्फ बोदया जाति मीना निवासी भैरूवास तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीयान

बनाम

1. प्रकाश पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी भैरूवास
2. राजेश पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी भैरूवास
3. शारदादेवी पत्नि रामभरोसी जाति मीना निवासी भैरूवास
4. नहनी पत्नि रामलाल जाति मीना निवासी भैरूवास
5. दयावती पत्नि प्रभूराम जाति मीना निवासी भैरूवास
6. रतनालाल पुत्र सुखपाल जाति मीना निवासी भैरूवास (मृतक)

   6 / 1. पप्पू पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी भैरूबास

   6 / 2. बबली पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी भैरूवास

   6 / 3. मानसिंह पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी भैरूवास

   6 / 4. केशर पत्नि रतनलाल जाति मीना निवासी भैरूवास

..............अप्रार्थीयान

7. मीरा पुत्री बोदा उर्फ बोदया जाति मीना निवासी भैरूवास
8. लाली पुत्री बोदा उर्फ बोदया जाति मीना निवासी भैरूवास
9. सुनीता पुत्री बोदा उर्फ बोदया जाति मीना निवासी भैरूवास
10. लीलादेवी पत्नि बोदा उर्फ बोदया जाति मीना निवासी भैरूवास

......................तरतीवी अप्रार्थीयान

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–श्री घनश्याम शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थीयान

श्री कृपाशंकर शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1से 5

श्री बलवीरसिंह चौधरी एडवोकेट–अधिवक्ता अप्रार्थीगण 6 के वारिसानों की ओर से

श्री कृपादयाल राणा एडवोकेट–अधिवक्ता अप्रार्थीगण 7 से 10

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—::निर्णय::—

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2363 रकवा 0.52 हे0, 2364 रकबा 0.68 है0, ग्राम भैरूवास तहसील कठूमर में स्थित है। जो प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीयान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस आराजी पर प्रार्थीयान का कुआ व मकान बना हुआ है आराजी खसरा नम्बर 2359/1 रकवा 0.65 है0 360 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम भैरूवास तहसील कठूमर में स्थित है कि प्रार्थीयान व अप्राथीयान व तरअप्रार्थीयान की शामलात खातेदारी की आराजी है खसरा नम्बर 2359/1 के तरफ उत्तर में ग्रेवल सडक डली हुई है इस सडक से खसरा नम्बर 2359/1, 2359/2, व 2360 की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे प्रार्थीयान अपने खसरा नम्बर 2363 व 2364 के लिये आते जाते है व पश्चिमी डौल के सहारे से ही अर्सा करीब 46 साल से प्रार्थीयान का आवागमन व निकास जारी है इसके अलावा खसरा नम्बर 2357 गैर मुमकिन रास्ते पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । प्रार्थीयान ने इसका नक्शा पेश किया है जिस नक्शा में 12 फुट चौडा चाहे जाने वाले रास्ता को लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थीयान द्वारा कई वार अप्रार्थीयान से उक्त 12 फुट चौडा रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया कि रंगलाल 12 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 2363 2359/1, 2360 में होकर दे दे उसके बदले हम प्रार्थीयान को कठूमर की डी एल सी रेट का डवल भुगतान करने को तैयार है लेकिन अप्रार्थीयान राजी खुसी रास्ता देने को तैयार नहीं है। रास्ता देने से मना कर दिया है।प्रार्थीयान के पास उक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया। अप्रार्थीयान संख्या 1 ला 6 की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2363 व 2364 वाके ग्राम भैरूवास के सहारे सहारे ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रार्थीगण के मकान तक ग्रेवल सडक का निर्माण कई बर्ष पूर्व ही कराया जा चुका है जिस ग्रेवल सडक पर होकर ही प्रार्थीगण बलराम, सन्तोष अपनी आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 के लिये निर्विवाद सडक से आवागन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र वद्यान्ति वश पेश किया है जबकि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 के लगता हुआ ग्राम पंचायत द्वारा कई वर्ष पूर्व नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सडक का निर्माण किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट के प्रावधान इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होते है और ना ही नया रास्ता कायत कराया जा सकता है प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। एवं तर0अप्रार्थीयान संख्या 7 से 10 के द्वारा इकबाल जवाब पेश

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

किया गया ।प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हाल, नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा वाके ग्राम भैरूवास पेश किये है।जो शामिल पत्रावली है।

उक्त प्रार्थना पत्र 251 क के सम्बन्ध में तहसीलदार कठूमर से मौका की विस्तृत वस्तुस्थति की रिपोर्ट तलब की गयी। जिसकी पालना में तहसीलदार कठूमर ने हाजिर अदालत होकर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.01.2025 को पेश की। तहसीलदार कठूमर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 2359/1, 2360, 2359/2, में मौके पर फसल खडी हुई। वादी बलराम वगैरा ने आराजी खसरा नम्बर 2359/1, 2359/2, 2360 में से होकर रास्ता स्वय की खातेदारी खसरा नम्बर 2363, 2364 तक जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। आराजी खसरा नम्बर 2359/1, 2359/2, 2360 में से वादीगण की खातेदारी में स्थित मकान तक रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है प्रार्थीगण को इस रास्ते के अलावा अन्य कोई बैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में मुख्यरूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये आराजी खसरा नम्बर 2363 रकबा 0.52 है0, 2364 रकबा 0.68 है0, ग्राम भैरूवास तहसील कठूमर में स्थित है। जो प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीयान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस आराजी पर प्रार्थीयान का कुआ व मकान बना हुआ है आराजी खसरा नम्बर 2359/1 रकबा 0.65 है0 360 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम भैरूवास तहसील कठूमर में स्थित है कि प्रार्थीयान व अप्राथीयान व तरअप्रार्थीयान की शामलात खातेदारी की आराजी है खसरा नम्बर 2359/1 के तरफ उत्त्र में ग्रेवल सडक डली हुई है इस सडक से खसरा नम्बर 2359/1, 2359/2, व 2360 की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे प्रार्थीयान अपने खसरा नम्बर 2363 व 2364 के लिये आते जाते है व पश्चिमी डौल के सहारे से ही अर्सा करीब 46 साल से प्रार्थीयान का आवागमन व निकास जारी है इसके अलावा खसरा नम्बर 2357 गैर मुमकिन रास्ते पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीयान के पास उक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। एवं अप्रार्थीण के अधिवक्ता द्वारा मुख्यरूप से अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2363 व 2364 वाके ग्राम भैरूवास के सहारे सहारे ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रार्थीगण के मकान तक ग्रेवल सडक का निर्माण कई बर्ष पूर्व ही कराया जा चुका है जिस ग्रेवल सडक पर होकर ही प्रार्थीगण बलराम, सन्तोष अपनी आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 के लिये निर्विवाद सडक से आवागन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र वदयान्ति वश एवं प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जवाब अप्रार्थीगण व तहसीलदार कठूमर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार प्रार्थी अत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत क केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है जो प्रार्थी प्रार्थना 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पेश करने का अधिकारी पाया जाता है। मुताबिक तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के मकान व खेत व कुआ तक और कोई पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। कानून की मंशा के मुताविक प्रार्थीयान अपनी आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 वाके भैरूवास में आने जाने हेतु अप्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2359/1, 2359/2, 2360, वाके भैरूवास में से तरफ पश्चिमी डौल के सहारे–सहारे 12 फुट चौडा तथा 170 मीटर लम्बाई का रास्ता सडक तक कायम कराने के अधिकारी पाये जाते है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 2363, 2364 वाके ग्राम भैरूवास तहसील कठूमर में प्रार्थीयान को पहुँच मार्ग हेतु आराजी खसरा नम्बर 2359/1 वाके भैरूवास में से 84 मीटर लम्बा तथा खसरा नम्बर 2359/2 में से 4 मीटर लम्बा व खसरा नम्बर 2360 में से 82 मीटर लम्बा रास्ता वाके ग्रम भैरूवास तरफ पश्चिम को सडक तक रास्ता में आने वाली 170 मीटर लम्बी एवं 12 फुट चौडाई भूमि की प्रचलित डी एल सी बाजार दर की दुगुनी राशि प्रार्थीयान से प्राप्त कर अप्रार्थीयान को भुगतान करवाकर राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाले (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.